

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
4 ⁵ / ₁₈	<p>आज यह फावली कॅम्प जोई मांगल साबिया में प्रेषित (हुई) प्रथी अधिकारता श्री रामधन यदव व प्रीरोवर तस्मीकर कोइकासिम उपखण्ड (फावली में सम्पन्न ग्राम पंचायत मांगल साबिया से रिपोर्ट नीचे) (सम्पन्न ग्राम पंचायत मांगल साबिया ने प्रमाण पत्र में संकेत किया कि ग्राम राधपुर गाएन में सुजीर कु-रज्जर, सुजीराम कु-रज्जर व सुजीराम कु-रज्जर एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में सुजीराम कु-रज्जर एक किया जाये। प्रथी ने दस्तावेजों में जमावन्दी, पहचान पत्र एवं पास बुक प्रेषित की। जिसमें सुजीराम कु-रज्जर ही हैं। प्रथी के कर्तव्यों में नाम सही है। (अभिध विधान शासकी दाल नं. 486, 487, 461, 491, 526, 548, 564, 595, 708, 572, 585, 723/31, 244, 416, 418, 419, 420, 592 वर्षों ग्राम राधपुर गाएन तस्मीर कोइकासिम में सुजीराम कु-रज्जर के स्थान पर दाल जमावन्दी में सुजीराम कु-रज्जर किया जाये। इसी समुदाय दाल रिकॉर्ड में सुकस किया जाये। तस्मीकर कोइकासिम को सुकस जारी हो। फावली में राज सुजीर होकर नाम पर कर हो तथा बाद तस्मीर बिना करस भंडार है। @HP</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अनवर)</p> <p>14⁶/₁₈ प्रथी के प्रमाण पत्र पर फावली प्रेषित (हुई) प्रथी ने प्रमाण पत्र प्रेषित कर विवेक विवेक कि सुजीराम कु-रज्जर के स्थान पर सुजीराम कु-रज्जर किया जाये। प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाकर आजीव पत्रपत्रा किया जाये। (सुजीर कु-रज्जर के स्थान पर सुजीराम कु-रज्जर किया जाये। @HP</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम</p>